UPST010043932026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई०सी० ऐक्ट), कक्ष संख्या-04, सुलतानपुर।

उपस्थितः श्री श्याम मोहन जायसवाल, एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 2651)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1389/2026

अनीस अहमद खान सुत मो० युनुस खान,

निवासी 290, बनकेपुर, थाना- धम्मौर, जनपद -सुलतानुपर ।

....**प्रार्थी / अभियुक्त**

बनाम

राज्य उ०प्र० द्वारा जिला मजिस्ट्रेट सुलतानपुर

.................................**अभियोगी / विपक्षी**

अ०सं०- 900/2025
अ०धारा-318(4), 338, 336(3),
340(2), 271, बी०एन०एस०,
8/21 सी०एन०डी०पी०एस०एक्ट
थाना- कोतवाली नगर, जिला - सुलतानपुर

दिनांक-11.05.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त अनीस अहमद खान की ओर से यह जमानत प्रार्थना-पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में पैरोकार तवरेज अहमद का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उप्र लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन एवं सहायक आयुक्त (औषधि), लखनऊ मण्डल, लखनऊ से प्राप्त फर्म मेसर्स-Mega Logistics, E-321, Shop on First Floor, Transport Nagar, Near Parking No. 05, Kanpur Road, Lucknow, U.P. 226012 द्वारा जारी विक्रय अभिलेखों के क्रम में मेसर्स अनीस मेडिकल एजेन्सीज, स्थित रायबरेली रोड, अमहट, थाना-कोतवाली नगर, जनपद-सुलतानपुर पर Tramadol तत्व से निर्मित Puroxowin Spas Cap के अवैध रूप से खरीद करने, भण्डारण करने एवं विक्रय किये जाने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त सहायक आयुक्त (औषधि), अयोध्या मण्डल, अयोध्या के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 17.11.2025 को फर्म के प्रोपराइटर अनीस अहमद की उपस्थिति में छापे की कार्यवाही की गयी थी। निरीक्षण के समय मेसर्स अनीस मेडिकल एजेन्सीज द्वारा Puroxowin Spas Cap के कुल 1584 बाक्स से सम्बन्धित 22 क्रय बिलों की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी, परन्तु उक्त औषधि का कोई भी विक्रय बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। मेसर्स अनीस मेडिकल एजेन्सीज द्वारा अपने पत्र के साथ Puroxowin Spas Cap का सत्यापित विक्रय अभिलेख प्रस्तुत किया गया। मेसर्स/अनीस मेडिकल एजेन्सीज द्वारा

प्रस्तुत विक्रय अभिलेखों के सत्यापन के क्रम में मेसर्स अभिषेक मेडिकल स्टोरे, मेसर्स न्यू गुप्ता मेडिकल हाल, मेसर्स संगीता मेडिकल स्टोर, मेसर्स अभी मेडिकल स्टोर को अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित कर Puroxowin Spas Cap के क्रय–विक्रय अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये क्रम में उक्त प्रतिष्ठानों द्वारा Puroxowin Spas Cap का कुल 1180 बाक्स के क्रय किये जाने से इन्कार किया है तथा प्रतिष्ठानों द्वारा शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मेसर्स अनीस मेडिकल एजेन्सीज के प्रोपराइटर अनीस अहमद खान द्वारा Puroxowin Spas Cap का गैर चिकित्सीय प्रयोजनार्थ अवैध रूप से विक्रय करने में संलिप्तता प्रतीत होती है। इसी क्रम में मेसर्स वैश्य मेडिकल स्टोर, स्थित शाहगंज, थाना कोतवाली नगर, जनपद–सुलतानपुर पर कोडीनयुक्त औषधि Codiva Cough Syrup के अवैध रूप से क्रय–विक्रय किये जाने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक–19.11.2025 को फर्म के प्रोपराइटर श्रीमती नेहा कसौंधन के पिता श्री राजेश कसौंधन की उपस्थिति में छापे की कार्यवाही की गयी थी। निरीक्षण के समय मेसर्स वैश्य मेडिकल स्टोर द्वारा Codiva Cough Syrup से सम्बन्धित कोई भी क्रय–विक्रय अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मेसर्स वैश्य मेडिकल स्टोर द्वारा दिनांक–22.11.2025 को Codiva Cough Syrup कुल 6095X100ml बोतल के 13 क्रय बिलों की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी परन्तु उक्त औषधि का कोई भी विक्रय बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के द्वारा Codiva Cough Syrup के कोतवाली विक्रय अभिलेख अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। मेसर्स वैश्य मेडिकल स्टोर की प्रोपराइटर एवं मेसर्स वैश्य मेडिकल स्टोर द्वारा Codiva Cough Syrup का कोई भी विक्रय कम्पीटेन्ट पर्सन नेहा कसौंधन ने अपने शपथ–पत्र दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से अवगत कराया है कि स्टोर से क्रय–विक्रय व समस्त देखभाल उनके पिता राजेश कसौंधन द्वारा किया जाता है। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मेसर्स वैश्य मेडिकल स्टोर की प्रोपराइटर नेहा कसौंधन एवं उनके पिता राजेश कसौंधन द्वारा Codiva Cough Syrup का गैर चिकित्सीय प्रयोजनार्थ अवैध रूप से विक्रय करने में संलिप्तता प्रतीत होती है। इसी क्रम में मेसर्स वैभव फार्मा, स्थित कुड़वार रोड, पयागपट्टी, पलहीपुर, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–सुलतानपुर पर कोडीनयुक्त औषधि Codiva Cough Syrup एवं Tramadol तत्व से निर्मित Puroxowin Spas Cap के अवैध रूप से क्रय–विक्रय किये जाने की सूचना प्राप्त होने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 22.11.2025 को फर्म के प्रोपराइटर वैभव श्रीवास्तव की उपस्थिति में छापे की कार्यवाही की गयी थी। निरीक्षण के समय मेसर्स वैभव फार्मा द्वारा Codiva Cough Syrup कुल 9110X100ml बोतल एवं Puroxowin Spas Cap के कुल 187 बाक्स के 27 क्रय बिलों में से 17 क्रय बिल की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी परन्तु उक्त औषधियों का कोई भी विक्रय बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र द्वारा उक्त औषधियों के शेष 10 क्रय बिल एवं विक्रय अभिलेख अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में फर्म मेसर्स वैभव फार्मा द्वारा दिनांक–24.11.2025 को शेष 10 क्रय बिल की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी परन्तु Codiva Cough Syrup एवं Puroxowin Spas Cap का कोई भी विक्रय बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मेसर्स वैभव फार्मा के प्रोपराइटर वैभव श्रीवास्तव द्वारा Codiva

Cough Syrup एवं Puroxowin Spas Cap का गैर चिकित्सीय प्रयोजनार्थ अवैध रूप से विक्रय करने में लगभग 05:15 बजे अपरान्ह में व्हाट्सअप पर मेसर्स वान्या इण्टरप्राइजेज प्रापर्टी नं0–में संलिप्तता प्रतीत होती है। दिनांक–26.11.2025 को सायं GB–9, संजय गाँधी, ट्रांसपोर्ट नगर, दिल्ली–110042 से कोडीनयुक्त औषधि ESKUF SYRUP की भारी मात्रा में फार्मास्यूटिकल्स, स्थित देव काम्पलेक्स, गोलाघाट, थाना कोतवाली नगर, जनपद–में कुल 52625X100ml बोतल का विक्रय मेसर्स अमर सुलतानपुर को की गयी है, की सूचना खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मुख्यालय लखनऊ से प्राप्त होने के मेसर्स अमर फार्मास्यूटिकल्स बन्द पाया गया। आस–पास के लोगों से पूंछतांछ करने पर के उपरान्त फर्म के लाइसेंस के पते पर अधोहस्ताक्षरी जाँच हेतु पहुँचा। मौके पर उनके द्वारा बताया गया कि उक्त फर्म विगत एक वर्ष से बन्द है। उसके उपरान्त फर्म के प्रोपराइटर श्री पुष्पेन्द्र कुमार से दूरभाष पर वार्ता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मेरी फर्म मेसर्स अमर फार्मास्यूटिकल्स, लगभग एक वर्ष पहले से बन्द है जिसको मेरे द्वारा खाली कर दिया गया है तथा मेरे द्वारा अब औषधियों के क्रय–विक्रय का कार्य नहीं किया जाता है। इस समय में घर पर हूँ। जिसके उपरान्त पुष्पेन्द्र कुमार द्वारा बताये गये उनके घर के पते–मलिकपुर बखरा, थाना–मोतिगरपुर, जनपद–सुलतानपुर पर दिनांक– 26.11.2025 को समय लगभग 08:30 बजे रात्रि में पहुँचा, वहाँ पुष्पेन्द्र कुमार अपने घर पर उपस्थित पाये गये, उनकी उपस्थिति में उनके घर की जाँच की गयी परन्तु मौके पर कोई भी औषधि नहीं पागी गयी। जाँच के समय पुष्पेन्द्र कुमार को ESKUF SYRUP की कुल 52625100ml बोतल का क्रय–विक्रय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु 04 बिलों के साथ नोटिस प्राप्त कराया गया। मेसर्स अमर फार्मास्यूटिकल्स के प्रोपराइटर द्वारा अपने पत्र के साथ शपथ–पत्र, बैंक स्टेटमेण्ट, इनवाइस संख्या–V–25–2 दिनांक–22.08.2025 एवं इनवाइस संख्या–V–25–4 दिनांक 23.08.2025 द्वारा खरीदे गये ESKUF SYRUP की कुल 30000X100ml बोतल के क्रय बिल की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी, परन्तु ESKUF SYRUP का कोई भी विक्रय बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। मेसर्स अमर फार्मास्यूटिकल्स द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेण्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि मेसर्स अमर फार्मास्यूटिकल्स द्वारा अपने बैंक खाते से मेसर्स वान्या इन्टरप्राइजेज के बैंक खाते में दिनांक–12.09.2025 को रू0 1176000/– एवं दिनांक–23.09.2025 को रू0 1176000/–भेजा गया है। जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि मेसर्स अमर फार्मास्यूटिकल्स के प्रोपराइटर पुष्पेन्द्र कुमार सिंह द्वारा ESKUF SYRUP का गैर चिकित्सीय प्रयोजनार्थ अवैध रूप से विक्रय करने में संलिप्तता प्रतीत होती है। उल्लेखनीय है कि कोडीन युक औषधि Codiva Cough Syrup, ESKUF SYRUP एवं Tramadol तत्व से निर्मित Puroxowin Spas Cap का गैर चिकित्सीय प्रयोग नशे के रूप में भी किया जाता है। उपरोक्त सभी औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों ने विभाग द्वारा प्रदत्त थोक औषधि विक्रय अनुजति का दुरूपयोग कर कोडीन युक्त औषधि Codiva Cough Syrup, ESKUF SYRUP एवं Tramadol तत्व से निर्मित Puroxowin Spas Cap को अधिक मुनाफा कमाने एवं संदोष लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940, एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1945 के नियमों का उल्लंघन कर खुले बाजार में गैर चिकित्सीय प्रयोजनार्थ विक्रय किया जा रहा है एवं फर्जी विक्रय अभिलेख प्रस्तुत कर विभाग को गुमराह किया गया है। उपरोक्त प्रकरण आम जनमानस में गैर चिकित्सीय प्रयोजनार्थ दुरूपयोग में प्रयुक्त होने वाली औषधियों से सम्बन्धित है। विषयांकित औषधियों का

क्रय भारी मात्रा में थोक औषधि विक्रय लाइसेन्स की आड़ में इस बात को दर्शाता है कि उपरोक्त सभी औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों द्वारा विषयांकित औषधियों का विक्रय अवैध रूप से किया जा रहा है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी यह का प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत न्यायालय के समक्ष है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र अन्यत्र किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खण्डपीठ लखनऊ में न तो दिया गया है और न ही विचाराधारन है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई भी पूर्व दोष सिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है तथा कथित मामले में झूंठा हैरान व परेशान करने की गरज से फंसाया गया है। वर्तमान मामले में दौरान विवेचना 8/21 एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी जब कि उक्त मामले में एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट का कोई मामला नहीं बनता है। प्रार्थी/अभियुक्त अनीस मेडिकल एजेन्सीज स्थित रायबरेली रोड अमहट सुलतानपुर का प्रोप्राइटर है तथा प्रार्थी दवाओ का थोक विक्रेता है। प्रार्थी के पास दवाओं की खरीद करने व विक्रय करने का वैध लाइसेन्स है तथा जी0 एस0 टी0 नम्बर आदि के समस्त प्रपत्र वैध है जो कि तथाकथित घटना के समय भी प्रभावित थे। प्रार्थी द्वारा फर्म मेसर्स मेगा लाजिस्टिक्स ई 321 प्रथम तल ट्रान्सपोर्ट नगर पार्किंग नम्बर 5 कानपुर रोड लखनऊ से दवाओ का क्रय किया जाता है तथा प्रश्नगत मामलें में भी प्रश्नगत दवाओं का क्रय उपरोक्त फर्म से किया गया है उक्त फर्म प्रश्नगत दवा विक्रय करने हेतु अधिकृत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा मेसर्स अभिषेक मेडिकल स्टोर मेसर्स न्यू गुप्ता मेडिकल हाल, मेसर्स संगीता मेडिकल स्टोर, मेसर्स अभी मेडिकल स्टोर को दवा विक्रय की गयी थी उपरोक्त प्रतिष्ठानों द्वारा क्रय से इन्कार करने के बावत शपथपत्र देने के कारण मामला प्रार्थी के विरूद्ध बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा तथाकथित घटना के दिन उपरोक्त प्रतिष्ठानों को क्रय–विक्रय किए जाने के सम्बन्ध में अभिलेख वादी मुकदमा को तत्काल प्रदान किए थे तथा बिल व लेजर बिल भी दिया गया था। दौरान विवेचना वादी मुकदमा व विवेचक द्वारा प्रार्थी के द्वारा दिए गए अभिलेखों को बिना वेरीफिकेशन कराए उनके शपथपत्र को सत्य मानकर विधि विरूद्ध तरीके से प्रार्थी को गिरफ्तार किया गया तथा फर्जी मामला बनाकर चालान किया गया। गिरफ्तारी के बाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जान पर न्यायालय के आदेश व निर्देश पर प्रार्थी द्वारा विवेचक को क्रय–विक्रय से सम्बन्धित अभिलेख प्रदान किए गए है जिसमें कोई विरोधाभाष नहीं है। प्रार्थी द्वारा दवाओं को विक्रय करते समय उसके कम्पोजीशन व क्वालिटी को छिपाया नही गया तथा उचित मूल्य पर हीं दवाओ का विक्रय किया गया है। दवाओ के कम में प्रार्थी के विरूद्ध धारा 318 (4) बी0 एन0 एस0 का कोई जुर्म नहीं बनता है। उक्त दवाओ का प्रभाव जीवन संकट दायिनी रहा इसका भी कोई साक्ष्य नहीं है। सम्बन्धित प्रतिष्ठानों द्वारा क्रय शुल्क आनलाइन तथा कैश में भी दिया गया है तथा प्रश्नगत दवा के आवा अन्य दवा भी दी गयी है। धारा 50 एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है तथा प्रार्थी को यात्रा पर जाने हेतु एअरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब कि प्रार्थी के खिलाफ नोटिस का तामीला नहीं था। अतः प्रार्थी /अभियुक्त द्वारा जमानत पर रिहा किय जाने की याचना की गयी है।

4. अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त बड़ी संख्या में Puroxowin Spas Cap का गैर चिकित्सीय उद्देश्य हेतु अवैध रूप से बिक्री किया गया है। अभियुक्त उक्त ड्रग्स के बिक्री से संबंधित जो पेपर दिखा रहा है उनसे संबंधित फर्म द्वारा उक्त ड्रग का

अभियुक्त की फर्म्स से क्रय किये जाने से इंकार किया गया है। प्रस्तुत मामले की विवेचना अभी प्राम्भिक स्तर पर है। अतः जमानत खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रस्तुत मामले में नामजद अभियुक्त है। जहाँ तक अभियुक्त/आवदेक द्वारा दाखिल बिक्री से संबंधित प्रपत्रों का संबंध है उक्त के संबंध में अभियोजन द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत मामले की विवेचना अभी प्रारम्भिक स्तर पर है तथा अभियुक्त/आवेदक द्वारा आरोपित ड्रग्स की बिक्री से संबंधित बड़ी संख्या में बिल उपलब्ध कराये गये हैं जिनके सत्यापन में अभी समय समय लग रहा है। अभियुक्त द्वारा जिन दुकानदारों को आरोपित ड्रग्स बिक्री किये जाने का कथन किया गया है उन्होंने सशपथ बयान में उक्त ड्रग्स अभियुक्त/आवदेक से क्रय किये जाने से इंकार किया है। अभियुक्त/आवदेक पर बहुत बड़ी मात्रा में आरोपित ड्रग्स का गैर चिकित्सीय उद्देश्य से दुरुपयोग कर युवाओं और समाज को क्षति किये जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। अतः अपराध की गम्भीरता, अपराध कारित करने में अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अनीस अहमद खान का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(श्याम मोहन जायसवाल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई०सी० ऐक्ट), कोर्ट संख्या–04 सुलतानपुर।
(J.O. Code- UP 2651)

दिनांक–11.05.2026

Deependra Singh
(Steno)

Digitally signed by SHYAM MOHAN JAISWAL
Date: 2026.05.13 11:24:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court